उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-5

संख्या-49/2019/1292(2)/12-5-2019-ब0-04/2018

लखनऊः दिनांक: 21 नवम्बर, 2019

<u>शुद्धि पत्र</u>

शासनादेश संख्या-48/2019/1292/12-5-2019-ब0-04/2018, दिनांक 14.11.2019 के पृष्ठ-1 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित मानक मदवार विवरण की सारणी में 42-अन्य व्यय के सम्मुख दूसरे कॉलम में अंकित पूर्व स्वीकृत धनराशि (प्रथम किश्त के रूप में) रू० 5174.00 लाख के स्थान पर रू० 5174.50 लाख तथा तीसरे कॉलम में अंकित द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू० 5174.00 लाख के स्थान पर रू० 5174.50 लाख पढ़ा जाए।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-48/2019/1292/12-5-2019-ब0-04/2018, दिनांक 14.11.2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

मंजू लता सिंह
उप सचिव।

<u>संख्या-49/2019/1292(3)/12-5-2019, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ की वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके, द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, लखनऊ।
5. कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ संबंधित को धनराशि का आवंटन करते हुए आवंटन की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
9. विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य एवं वानिकी), कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
10. वित्त ई-1/नियोजन अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in